

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक : 4/18/15

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं -

क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	100/09	श्रीमती संतोष कासनिया कनिष्ठ विपणन अधिकारी कृषि विपणन विभाग, जयपुर	4-बी-2, गांधीनगर बहुमंजिला (4/97, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.8.2041
2	112/09	श्रीमती शुभलक्ष्मी जैन कनिष्ठ लिपिक ए.डी.जे. एवं व. ख. 10 न्यायालय, जयपुर	4-डी-20, गांधीनगर बहुमंजिला	30.4.2017
3	17/2010	श्रीमती सरोज कुमारी कनिष्ठ लिपिक राजकीय बीमा औषधालय, नम्बर-5, बापू नगर, जयपुर	4/73, गांधीनगर (4/81, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.7.2031
4	134/2010	श्री देवरतन हर्ष कनिष्ठ लिपिक ए.सी.जे.एम. कं.सं0 5, जयपुर	4/41, गांधीनगर (4/140, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.5.2023
5	136/2010	श्री राधेश्याम वर्मा सहायक उप निरीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर	4/56, गांधीनगर	31.7.2041
6	137/2010	श्री बजरंग लाल सैनी हैड कानि0 नं0 89 मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर	4/102, गांधीनगर	31.7.2036
7	138/2010	श्री राजेश बोहरा वरिष्ठ लिपिक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर	4/55, गांधीनगर	31.7.2026
8	140/2010	श्री प्रेम सिंह नर्स ग्रेड-1A जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर	4/147, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-928, गांधीनगर)	31.8.2038
9	141/2010	श्रीमती प्रेमलता नर्स ग्रेड-1A जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर	4/68, गांधीनगर	29.2.2043
10	142/2010	श्री दिलीप सिंह शेखावत कनिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग-1, जयपुर	4/94, गांधीनगर	31.10.2036
11	143/2010	श्री मोहन लाल जोशी वरिष्ठ लिपिक मुख्य अभियंता (आई.डी.एण्ड आर.) जल संसाधन विभाग, जयपुर	4/105, गांधीनगर	31.7.2018
12	144/2010	श्री विनोद कुमार कटियार कनिष्ठ लिपिक मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	4/123, गांधीनगर	31.8.2015
13	145/2010	श्री नवीन चौपडा कनिष्ठ लिपिक सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग द्वितीय, जयपुर	4/177, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-990, गांधीनगर)	30.6.2035
14	147/2010	श्री बाबू लाल शर्मा कनिष्ठ लिपिक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-5, जयपुर।	4/99, गांधीनगर	30.9.2034
15	148/2010	श्री कमलेश भारद्वाज टर्नर कम कारपेन्टर राज केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर	4/100, गांधीनगर	31.5.2025
16	28/2010	श्री शिव प्रसाद कुमावत लिपिक	4-ए-11, गांधीनगर	30.6.2023

		कार्मिक (ख-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर		
17	102/2011	श्री गोविन्द सहाय वरिष्ठ लिपिक उपनिवेशन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/115, गांधीनगर	30.4.2025
18	115/2011	श्री किशोर कुमार गुप्ता वरिष्ठ लिपिक वित्त (नियम) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/79, गांधीनगर	30.6.2023
19	116/2011	श्री ओमप्रकाश राणा वरिष्ठ लिपिक खान (मुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/128, गांधीनगर	31.12.2019
20	130/2011	श्री रामावतार वाहन चालक कार्मिक (ख-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/110, गांधीनगर	31.8.2019
21	136/2011	सुश्री प्रियंका वर्मा वरिष्ठ लिपिक वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/111, गांधीनगर	31.8.2045

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 1, 2 एवं 16 पर अंकित आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, भासा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।

8. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
10. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
11. मुख्य अभियंता (आई.डी.एण्ड आर.), जल संसाधन विभाग, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-1, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-11, जयपुर।
14. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5, जयपुर शहर, जयपुर।
15. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (व.ख. 10), न्यायालय, जयपुर।
16. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), राजकीय बीमा औषधालय, नम्बर-5, बापू नगर, जयपुर।
17. अधीक्षक, जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर।
18. अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम-5, जयपुर।
19. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
21. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
23. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0-खण्ड-तृतीय, जयपुर/जन स्वा0 अभि0 वि0, गांधीनगर, जयपुर/वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
25. सम्बन्धित कर्मचारीगण। क्रम संख्या 1,3 व 4 पर अंकित आवंटियों को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
27. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव